कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467

E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 2566 / 12-1 **,दिनांक, कोटद्वार,** 30/01, **2022**

सेवा में

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
प्राधिकरण,(पी0आई0यू0) मेरठ।

विषयः- construction of 4- laning of kotdwara bypass of NH-119 connecting najibabad – kotdwara to kotdwara-pauri road in the state of uttarakhand under bharat mata pariyajana के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक-NHAI/PIU-MRT/66012/2023/D-26382 दिनांक-11.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जिसके माध्यम से आप द्वारा construction of 4- laning of kotdwara bypass of NH-119 connecting najibabad – kotdwara to kotdwara-pauri road in the state of uttarakhand under bharat mata pariyajana का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया गया, का ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर उक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित कामियां पाई गयी है।

1- प्रस्ताव में चैक लिस्ट संलग्न नही है।
2- प्रस्ताव मे प्रारम्भिक सयुक्त निरिक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है।
3- प्रस्ताव में मार्ग के संमरेखण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली भूमिका लैण्ड शैडयूल संलग्न नही है।
4- प्रस्ताव में टोपोशीट एवं जीयोरिफरेन्स मेप आई0टी0सेल0 द्वारा तैयार नही किया गया है।
5- प्रस्ताव में वैकल्पिक संमरेखण को मानचित्र में प्रदर्शित नही किया गया है।
6- प्रस्ताव में मार्ग के समरेखण में प्रभावित होने वाली भूमि की लम्बाई-चौडाई के विवरण में भूमि की लम्बाई-चौडाई प्रदर्शित नही की गयी है।
7- प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षो का विवरण निर्धारित प्रारुप में सलंग्न नही है।
8- प्रस्ताव में स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
9- प्रस्ताव में भू-वैज्ञानिक की आख्या संलग्न नही है।
10- प्रस्ताव में आमसभा का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
11-प्रस्ताव में धार्मिक/पैराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र में उप-निरीक्षण की आख्या संलग्न नही है।
12-प्रस्ताव में परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों एवं जनंसख्या से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मे सूचआ अपूर्ण है।
13- प्रस्ताव में स्थल,स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने के का प्रमाण पत्र सलंग्न नही है।
14- प्रस्ताव में परियोजना के निमार्ण से उत्पादित मलवा निस्तारण योजना संलग्न नही हैं।
15- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सूचना लॉन-लाईन अपलोड एवं प्रस्ताव में सलंग्न नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अध्यारोपित कामियों/पृच्छाओं का निराकरण कर प्रस्ताव 06 प्रतियों में प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन प्रेषित सूचना स्पष्ट हो चूंकि उच्च स्तर द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रस्ताव में जितनी भी पृच्छाएँ प्राप्त की जानी है वह एक बार में ही प्रयोक्ता ऐजेसी को प्रेषित की जाये ताकि अनावश्यक समय व्यर्थ न हो।

भवदीय

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 2566 / 12-1 **दिनांकित**

प्रतिलिपि- 1. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

o/c